<u>कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सुलतानपुर</u>

<u>प्रशासनिक आदेश संख्या– 83/2021</u>

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक–1964/LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad दिनॉकित–15.06.2021 द्वारा निर्गत निर्देश के अनुपालन में अग्रिम आदेश तक परिवार न्यायालय,सुलतानपुर में सीमित न्यायिक कार्य हेतु निम्नलिखित न्यायालय कार्य करेंगे। इस दौरान मात्र आवश्यक सिविल/ फौजदारी मामले एवं आवश्यक प्रार्थनापत्रों की सुनवाई/ कार्यवाही की जायेगी तथा हाई पावर कमेटी के द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशो का अनुपालन आवश्यक है।

1. 1– प्रधान न्यायाधीश,कुटुम्ब न्यायालय सुलतानपुर दिनॉक–21.06.2021 से 22.06.2021को उपरोक्त कार्य करेंगे।

2–अपर प्रधान न्यायाधीश,कुटुम्ब न्यायालय सुलतानपुर तृतीय दिनॉक–23.06.2021 से दिनॉक–24.06.2021 को उपरोक्त कार्य करेंगे।

3–अपर प्रधान न्यायाधीश,कुटुम्ब न्यायालय चतुर्थ दिनॉक–25.06.2021 को उपरोक्त कार्य करेंगे।

2. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार नये सिविल एवं फौजदारी वाद तथा आवश्यक प्रार्थनापत्र केन्द्रीय कम्प्यूटर अनुभाग में प्रस्तुत किये जायेगे। प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थनापत्रों में अधिवक्ता/ वादकारी द्वारा पूर्ण विवरण मोबाइल नम्बर एवं अपनी ईमेल आईडी सहित दिया जायेगा। कम्प्यूटर अनुभाग ऐसे प्रार्थनापत्रों को प्राप्त करेगें। कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा प्रार्थनापत्रों में यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो इसकी तत्काल सूचना सम्बन्धित अधिवक्ता/वादकारी को कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा दी जायेगी।

3. जहॉ वाद का निस्तारण अति आवश्यक हो वहॉ सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी मामले / प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अपनी स्पष्ट आख्या उल्लेख कर अधोहस्तारी की पूर्व अनुमति लेकर बयान दर्ज/ ट्रायल की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेगें सम्बन्धित अधिवक्तागण एवं वादकारीगण को न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति उस स्थिति में प्रदान की जायेगी यदि वे किसी प्रकार के बीमारी से ग्रसित न हो। सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी बयान दर्ज/ ट्रायल की कार्यवाही के पूर्व अधिवक्तागण /वादकारीगण के स्वस्थता के सम्बन्ध में आवश्यक व उचित कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश दे सकते है।

4. इसी क्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पारिवारिक न्यायालयों में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी गाईड लाइन के अनुसार न्यायालयों के संचालन हेतु न्यूनतम कर्मचारीगण उपस्थित रहेगें। अतः संचालित न्यायालयों के न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने–अपने न्यायालयों में आवश्यक न्यूनतम कर्मचारी की चक्रानुक्रम में उपस्थिति के साथ न्यायालय का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें।

5. यदि किसी अधिवक्ता को किसी प्रकार से वादों की सुनवाई में दिक्कत हो तो इस न्यायालय

के सदर मुंसरिम के मोबाईल नम्बर–8948442851 पर सम्पर्क कर सकते है।

उपरोक्त के अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक–1941/LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad दिनॉकित–05.04.2021, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक–1944/LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad दिनॉकित–14.04.2021 एवं पत्रांक–1945/LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad दिनॉकित–22.04.2021, पत्रांक–1946/LXXXVII-CPC/e -courts/Allahabad दिनॉकित–26.04.2021 तथा पत्रांक–1958/ LXXXVII-CPC/e -courts/Allahabad दिनॉकित–04.06.2021 के अनुपालन में इस पारिवारिक न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित प्रशासनिक आदेशों में दिये गये शेष दिशा निर्देश यथावत रहेंगे।

सभी सम्बन्धित सूचित हो।

Chaturvedi 20/6/21
(उत्कर्ष चतुर्वेदी)
प्रधान न्यायाधीश,कुटुम्ब न्यायालय
सुलतानपुर

दिनॉक–20.06.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी सुलतानपुर।
2. जिलाधिकारी अमेठी।
3. पुलिस अधीक्षक, सुलतानपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, अमेठी
5. कारागार अधीक्षक,सुलतानपुर।
7. अध्यक्ष/ सचिव बार एसोसिएशन, सुलतानपुर।
8. अध्यक्ष/ सचिव बार एसोसिएशन, कादीपुर।
9. अध्यक्ष/ सचिव बार एसोसिएशन, मुसाफिरखाना।
10. जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल,सुलतानपुर।
11. समस्त पीठासीन अधिकारी परिवार न्यायालय सुलतानपुर।
12– सिस्टम आफीसर,कम्प्यूटर सेन्टर,सुलतानपुर को जनपद न्यायालय की वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु।
13. जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर को राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।
14. नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

Chaturvedi 20/6/21
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
सुलतानपुर।